



केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस,
नई दिल्ली -110067

संचित संख्या: CICOM/R/2018/00403/CR-1

दिनांक : 20.04.2018

सेवा में,

श्री अजहर अली

विषय :- RTI Act, 2005 के तहत सूचना प्रदान करना.

महोदय,

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन दिनांक 06.04.2018 (Dy. No. 124322 dated 17.04.2018) , के तहत, इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक 19.04.2018 को संख्या CICOM/R/2018/00403 के तहत प्राप्त हुआ है। जिसका उत्तर निम्नानुसार है:-

आप द्वारा वांछित सूचना section 2(f), RTI Act, 2005 के बाहर है।

आपके RTI आवेदन का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि आपने उपरोक्त आर टी आई आवेदन के साथ 2 पृष्ठों को सलग्न किया है जिसमें से पहला पृष्ठ है बिलकुल भी पढ़ने योग्य नहीं है और दूसरा पृष्ठ है सुविधा जापन (Dy. No 119012/2018) जो इस कार्यालय द्वारा दिनांक 26.03.2018 को जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में आपसे प्रार्थना है की इस सुविधा जापन में दर्शायी गई कमियों को दूर करके अपनी द्वितीय अपील पुनः आयोग को भेजे तथा भेजते समय ध्यान रहे की RTI Rule 2012 के Rule 8 में दर्शायी गई बातों का भी पालन करें।

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- श्री राकेश कुमार सिंह , अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, नजदीक पुराना जे न यू कैंपस, नई दिल्ली 110067।

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप -सचिव- / सी पी आई ओ

केन्द्रीय रजिस्ट्री - 1

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

(कृष्ण अवतार तलवार)

उप -सचिव- / सी पी आई ओ